फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

श्रीनारायण बनाम प्रहलाद वगै0

किस्म मुकदमा—दावा तकास्मा | मु0नं0— 181/2022

पीठासीन अधिकारी— डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.10.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय विभाजन प्रस्ताव हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष वादपत्र बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषे0 पेश किया गया जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा विधिवत सुनवाई करते हुए प्राथमिक डिक्री पारित कर विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किए एवं दिनांक 03.04.2018 को अंतिम डिक्री पारित कर दी गई। उक्त अंतिम डिक्री से व्यथित होकर प्रतिवादी द्वारा माननीय न्यायालय भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष अपील पेश की जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए अपीलांट को जवाब दावा पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए तनकीयात कायम कर साक्ष्य सबूत लिए जाकर निर्णय पारित करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त आदेश से पत्रावली माननीय न्यायालय से रिमाण्ड होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई, इसलिए पत्रावली न्यायालय हाजा में पुनः सुनवाई हेतु नियत की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश किया गया एवं वादपत्र एवं जवाब दावे अनुसार कायमी तनकीयात कायम कर विवेचित की गई। वादी साक्ष्य एवं प्रतिवादी साक्ष्य शामिल पत्रावली किए गए एवं गवाहों से जिरह की गई। तत्पश्चात पत्रावली में दिनांक 08.01.2025 को उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस दावा सुनी गई, एवं तहसीलदार सिकराय को विभाजन नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने हेतु प्राथमिक डिक्री पारित की गई। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार सिकराय द्वारा पत्रांक भू0अ0/2025/1420 दिनांक 08.04.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किए। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति विभाजन प्रस्ताव पेश किया। लेकिन प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव एवं आपत्ति प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि तहसीलदार सिकराय द्वारा नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किए गए है तथा नेशनल हाईवे से लगती हुई भूमि में भी दोनो पक्षों को समान भूमि दी गई है तथा विभाजन प्रस्ताव भी मौका अनुसार है इसलिए पत्रावली में अंतिम डिक्री पारित की जावे। बहस वादी अधिवक्ता का ध्यानपूर्वक मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात साक्ष्य शपथ पत्र एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी ने आपत्ति प्रार्थना पत्र के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है जिससे आपत्ति प्रार्थना पत्र साबित होता हो, बल्कि विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से	

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

श्रीनारायण / प्रहलाद वगै० मु० नं० - 181/2022

यह स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय प्राथमिक डिक्री अनुसार ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किए है तथा दोनो पक्षों को ही समान रूप से कीमती भूमि भी प्रदान की गई है। इसलिए विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः तहसीदार सिकराय द्वारा पत्रांक भू0अ0 / 2025 / 1420 दिनांक 08.04.2025 द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। तथा प्रतिवादी को जरिए स्थायी निषे0 से पाबंद किया जाता है कि वह वादी के हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें। उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार सिकराय को पालना तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट